आदेश की क्रम--संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17.02.2023	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.R. Case No.- 10/2015-16 अखिल हेम्ब्रम **बनाम** मोहिनी हेम्ब्रम एवं अन्य एवं अन्य **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय P.A. Case No.-39/2005-06 में दिनांक-06.06.2014 एवं दिनांक-09.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। उक्त P.A. Case No.-39/2005-06 में दिनांक-06.06.2014 को पारित आदेश के द्वारा मोहिनी हेम्ब्रम, पिता स्व0 पगान हेम्ब्रम को मौजा-दुधकेवरा के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वे मौजा-दुधकेवरा के स्थायी जमाबंदी 16 आना रैयत है। अपीलकर्त्ता को अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय P.A. Case No.-39/2005-06 में दिनांक-06.06.2014 एवं दिनांक-09.07.2015 को पारित आदेश का जानकारी हमलोगों को दिनांक-24.08.2015 को जानकारी हुई। रसोमुनी मुर्मू भूतपूर्व प्रधान गणेश हेम्ब्रम के पत्नी एवं मोहिनी हेम्ब्रम जो कि भूतपूर्व प्रधान गणेश हेम्ब्रम के भाई स्व0 पगान हेम्ब्रम का पुत्री है द्वारा प्रधानी नियुक्ति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु छल पूर्वक आवेदन दाखिल किया गया। 16 आना रैयत को नोटिस का तामिला नहीं किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में मोहिनी हेम्ब्रम को प्रधानी पद पर नियुक्ति किया गया लेकिन वह अपना प्रधानी मौजा-दुधकेवरा में नहीं रहती है जब कि वह अपनी ससुराल ग्राम-गोपालपुर में रहती है। उत्तरवादी मोहिनी हेम्ब्रम का कहना है कि वह मौजा-दुधकेवरा के स्थायी है। दुधकेवरा एक प्रधानी मौजा है एवं गणेश हेम्ब्रम मौजा के भूतपूर्व प्रधान थे। उनके पिता पगान हेम्ब्रम भूतपूर्व प्रधान गणेश हेम्ब्रम के भाई थे। भूतपूर्व प्रधान गणेश हेम्ब्रम के पत्नी उम्र लगभग 60 वर्ष है के द्वारा प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अभिरूची नहीं है। गणेश हेम्ब्रम नावल्द है। इस प्रकार गत प्रधान के एक मात्र वंशज मोहिनी हेम्ब्रम है। इस प्रकार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-06 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति न्यायासंगत है। मौजा-दुधकेवरा में रहने संबंधी मोहिनी हेम्ब्रम द्वारा आधार का छायाप्रति एवं मतदाता पहचान पत्र का छायाप्रति समर्पित किया गया है। मोहिनी हेम्ब्रम का ससुराल मौजा-गोपालपुर है जो कि मौजा-दुधकेवरा से (Contagious) सटा हुआ है। उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No.-39/2005-06 में दिनांक-06.06.2014 एवं दिनांक-09.07.2015 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No.-39/2005-06 में दिनांक-06.06.2014 एवं दिनांक-09.07.2015 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, जामताड़ा। 17/2/23 उपायुक्त, जामताड़ा। 17/2/23	Seen 3/3/23 Seen 6/3/23

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.07.03 14:45:16 +05:30
Location: 192.168.43.106